

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी डी.डी.ओ. हरियाणा राज्य,
श्रम विभाग (प्रति संलग्न)

क्रमांक: स्था0/2017/ 18341-386
दिनांक: 21/6/2017

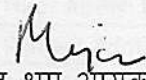
विषय:— **Implementation of the Human Resource Management System (HRMS)**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 26.10.2016, 02.11.2016, 13.12.2016, 02.05.2017 व 23.05.2017 के संबंध में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा Human Resource Management System (HRMS) से संबंधित कार्य को गम्भीरता से लिया गया है तथा कार्य पूर्ण करने हेतु अन्तिम तिथि 30.06.2017 निर्धारित की गई है अन्यथा वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2017 के उपरांत विभाग से सभी प्रकार के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा HRMS से संबंधित कार्य की जल्द ही समीक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि HRMS से संबंधित कर्मचारियों को कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वह प्रत्येक जिले के लेखा व खजाना विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर पुछ सकते हैं तथा फिर भी कोई कठिनाई आती है तो किसी भी कार्य-दिवस में मुख्यालय में रिकार्ड सहित उपस्थित होकर कार्य करवा सकते हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप संबंधित कार्य को एक सप्ताह के अन्दर-2 पूर्ण करके मुख्यालय पर लिखित में सूचित करने का कष्ट करें।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।